तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.67/2024**	नम्बर व तारिख अंहकाम इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
24.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हितेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड, निवासी– मोहन महराज की गली, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही ,खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म कृष्णा मार्केटिंग, पावर हाउस के पास, झांकर चौराहा, सिरोही रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित।	

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 03.6.2021 को फर्म कृष्णा मार्केटिंग, झांकर चौराहा, सिरोही रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हितेश कुमार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) का नमूना संख्या S-1413 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./347/Act/2021/445 दिनांक 10.6.2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 16.7.2024 को प्रतिवादी की ओर से उसके भाई किशोर कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड़, प्रोपराईटर, कृष्णा मार्केटिंग, पिण्ड़वाडा ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसकी मैसर्स कृष्णा मार्केटिंग, झांकर चौराया, पिण्ड़वाडा में स्थित है एवं दुकान पर दिनांक 03.6.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से हंक फाइल्ड चोको (प्रियागोल्ड) कम्पनी द्वारा निर्मित का सेम्पल सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। उस वक्त मेरी दुकान का संचालन मेरा भाई हितेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण भाण्ड़ कर रहा था। यह कि मैं मेरी फर्म में कम्पनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट ही विक्रय करता हूँ जिसमें मेरी कोई बदनियति व लापरवाही नही रही है। अतः मुझ प्रार्थी का जवाब स्वीकार कर राहत प्रदान करावे। प्रतिवादी के भाई किशोर कुमार द्वारा प्रस्तुत जवाब पर किशोर कुमार, प्रोपराईटर, कृष्णा मार्केटिंग, झांकर चौराया, पिण्ड़वाडा को उसी दिन ही सुना गया। जिसने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। अतः प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत उक्त श्री किशोर कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी, जाति– भाण्ड़, निवासी– मोहन महाराज गली, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कृष्णा मार्केटिंग, पावर हाउस के पास,

......लगातार

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:31 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.67/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	झांकर चौराहा, सिरोही रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को पक्षकार बनाया जाता है। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी किशोर कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड़, निवासी– मोहन महाराज गली, वीरवाडा द्वारा जवाब प्रस्तुत करने से प्रतिवादी किशोर कुमार की बहस सुनी जा चुकी है, इसलिये पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 03.6.2021 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म कृष्णा मार्केटिंग, झांकर चौराहा, सिरोही रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से हितेश कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड़, जाति– भाण्ड़, निवासी– मोहन महाराज गली, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। जो फर्म कृष्णा मार्केटिंग में आम जन के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) का विक्रय करता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कृष्णा मार्केटिंग, झांकर चौराहा, सिरोही रोड़, पिण्ड़वाडा में खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान आम जन के उपयोग एवं विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना विक्रेता हितेश कुमार को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म कृष्णा मार्केटिंग में आम जन के उपयोग व बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) के 18 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 600 ग्राम) में से Hunk Filled Choco (Priyagold) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 600 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष कीमतन क्रय कर Hunk Filled Choco (Priyagold) की कीमत राशि रुपये 520/– (अक्षरे रुपये पांच सौ बीस मात्र) विक्रेता हितेश कुमार को अदा कर रसीद प्राप्त की। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार लेबल तैयार कर इन लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता हितेश कुमार एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा Hunk Filled Choco (Priyagold) के क्रयशुदा चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग क[...] नियमानुसार कार्यवाही करते ......लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:31 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No.67/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् चारों सीलबन्द नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता हितेश कुमार एवं गवाह तथा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.6.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री तेजसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 03.6.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म कृष्णा मार्केटिंग, झांकर चौराहा, सिरोही रोड़, पिण्डवाडा में प्रतिवादी विक्रेता हितेश कुमार से खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) के नमूना संख्या S-1413 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./347/Act/2021/445 दिनांक 10.6.2021 में खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में उक्त श्री किशोर कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड़ की ओर से जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह पाया गया कि फर्म कृष्णा मार्केटिंग, पावर हाउस के पास, झांकर चौराहा, पिण्ड़वाडा का प्रोपराईटर किशोर कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि श्री किशोर कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड़ की प्रोपराईटरी फर्म कृष्णा मार्केटिंग, पावर हाउस के पास, झांकर चौराहा, पिण्ड़वाडा में प्रतिवादी हितेश कुमार द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 ......लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:31 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.67/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Hunk Filled Choco (Priyagold) के विक्रय हेतु प्रतिवादी किशोर कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड़, जाति– भाण्ड़, निवासी– मोहन महाराज की गली, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म कृष्णा मार्केटिंग, पावर हाउस के पास, झांकर चौराहा, सिरोही रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, किशोर कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जी भाण्ड़, जाति– भाण्ड़, निवासी– मोहन महाराज की गली, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.8.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) पीठा. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

न्यायालय पीठा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.25 14:51:31 IST
Reason: SelfAttested